निर्धारित किए गए थे। बाद की अवधि के लिए योजना आयोग द्वारा अभी लक्ष्य निर्धारित किए जाने हैं।

दिल्ली में रिंग-रेल

3287. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली की रिंग-रेल में प्रतिदिन कितने लोग यात्रा कर सकते हैं;

(ख) रिंग-रेल पर कुल कितनी गाड़ियां प्रतिदिन चलती हैं और उनमें कितने यात्रियों के लिए स्थान होता है;

(ग) क्या कोई ऐसी योजना है कि रिंग-रेल पर प्रति दस, बीस या तीस मिनट के अन्तराल पर गाड़िया चलाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो कथित योजना के कब तक लागू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) दिल्ली परिक्रमा रेलवे पर इस समय 11 गाड़ियां (7 घड़ी की दिशा में और 4 घड़ी की विपरीत दिशा में) चलायी जा रही हैं और इन गाड़ियों में प्रति दिन 12,800 से अधिक यात्री यात्रा कर सकते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल ठेकेदारों की योग्यता के मानदण्ड का पुनर्विलोकन

3288. **श्री नागमणि:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेल विभाग में कार्यरत ठेकेदारों की योग्यता के मानदण्ड का पुनर्विलोकन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) क्या सरकार यह जानने के लिए कोई प्रयास कर रही है कि क्या ठेकेदार रेल अधिकारियों के रिश्तेदार हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण

3289. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रख्यात वकीलों और विधि-वेत्ताओं ने राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण के पुनर्विलोकन का आग्रह किया है तथा उन क्षेत्रों को इसमें शामिल करने के लिए जो पर्यावरण कानून के अन्तर्गत नहीं आते हैं; इसके कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पर्यावरण कानून संबंधी केन्द्र द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई कार्यशाला की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्यशाला द्वारा प्रस्तावित मुख्य संस्तुतियां क्या-क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैएन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख) पर्यावरणीय विधि केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा 17.6.1995 को आयोजित कार्यशाला के प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण को और अधिक शक्तियां प्रदान करने की सिफारिशों की हैं। निम्नलिखित सिफारिशें की गई:—

> "दुर्घटना" शब्द को हटा कर अधिनियम के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाए ताकि "परिसंकटमय पदार्थों के हथालन" के कारण होने वाली समस्त क्षतियों को इसमें शामिल किया जा सके।
>
> लोगों और गैर-सरकारी संगठनों की अधिक सहभागिता होनी चाहिए। कानून में निर्धारित गैर-सरकारी संगठनों को "मान्यता देने" की प्रणाली को हटाया जाए।
>
> किसी कंपनी द्वारा हुई दुर्घटना की स्थिति में, मुआवजे के भुगतान का दायित्व कंपनी के सभी निदेशकों की होनी चाहिए।
>
> न्यायाधिकरण की कार्यसीमा से "कर्मकारों" को इस कानून से बाहर न रखा जाए। लाभकारी

कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिससे मुआवजे के प्रयोजन से पर्यावरण को हुई क्षति का पता लगाया जा सके। प्राधिकारी और प्रक्रिया के बारे में कुछ निर्धारण होना चाहिए जिसके द्वारा वह प्राधिकारी पर्यावरण राहत कोष में जमा होने वाली मुआवजे की राशि का उपयोग कर सके।

"परिसंकटमय पदार्थों" की परिभाषा की समीक्षा की जरूरत है क्योंकि पर्यावरणीय क्षति उन पदार्थों से हो सकती है जो संगत लोकदायिता बीमा अधिनियम, 1991 के तहत "परिसंकटमय" के रूप में अनुसूचित नहीं है।

संभव है कि किसी "दुर्घटना" के प्रभावों का अनुभव कुछ समय के बाद हो। अतः मुआवजे के दावे के लिए पांच वर्षों की सीमा को संशोधित किया जाए तथा प्रत्येक पदार्थ के लिए उसके स्वरूप के आधार पर अलग अलग सीमा अवधि बताई जाए।

सिविल कार्यविधि संहिता, 1908 (कुछ मुख्य उपबंधों को छोड़कर) के प्रचालन के अपवर्जन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक सूचना की प्राप्ति के लिए अनिवार्य उपबंध हो।

इस कानून का नाम भ्रामक है। इसका नाम "पर्यावरण दावे न्यायाधिकरण" अथवा "मुआवजा अदायगी न्यायाधिकरण" होना चाहिए।

(ग) और (घ) जी, हां। कार्यशाला द्वारा की गई सिफारिशें भाग (क) और (ख) में उल्लिखित सिफारिशें ही हैं।

(ङ) राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 में, किसी परिसंकटमय पदार्थ को हैंडल करते समय होने वाली किसी दुर्घटना से उत्पन्न क्षतियों के लिए कठोर दायित्व तथा व्यक्तियों, संपत्ति तथा पर्यावरण तथा उनसे जुड़े मामलों अथवा प्रासंगिक मामलों में क्षतियों हेतु राहत और मुआवजा देने के ध्येय से ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने की व्यवस्था है। वर्तमान में इस न्यायाधिकरण का कार्य क्षेत्र परिसंकटमय पदार्थों के हथालन से उत्पन्न दुर्घटनाओं के मामलों के अधिनिर्णय तक सीमित हैं। कर्मकारों को इस अधिनियम की कार्य-सीमा से बाहर रखा गया है क्योंकि इनके मामले अन्य कानूनों के तहत आते हैं।

उक्त न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा परन्तु यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा। न्यायाधिकरण के पास अपनी कार्यविधि विनियमित करने की शक्ति होगी। साथ ही कतिपय कार्यों के निष्पादन के लिए किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त शक्तियां भी इस न्यायाधिकरण के पास होंगी। ये उपबंध मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए किए गए हैं। यह उपबंधित किया गया है कि पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रतिनिधि निकाय अथवा संगठन द्वारा मुआवजे के लिए आवेदन किया जाए। यह न्यायाधिकरण क्षति के दावों पर सभी कार्रवाई करेगा जब उनको क्षति होने की तारीख से 5 वर्षों के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। यह महसूस किया गया कि अधिक लम्बी अवधि के अकारण मुकदमेबाजी होगी। कारण कार्य संबंध को भी जान पाना कठिन होगा। पर्यावरण को होने वाली क्षति के संबंध में मुआवजे की धनराशि को पर्यावरण राहत कोष के तहत जमा किया जाएगा और उसका उपयोग किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जहां इस अधिनियम के तहत अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो वहां अपराध किए जाने के समय कंपनी का कारोबार चलाने के लिए कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभारी और उसके लिए उत्तरदायी हो, प्रत्येक व्यक्ति के साथ साथ कंपनी को अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और तदनुसार उसे दंडित किया जाएगा।

Vacant reserved posts in Schools

3290. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are large number of vacancies lying vacant in the Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas in the country, particularly in the State of Punjab;

(b) if so, the details thereof, State-wise, and the reasons therefor; and